



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 755]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 22, 2010/वैशाख 2, 1932

No. 755]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 2010/VAISAKHA 2, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2010

का.आ. 913(अ).—केंद्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 21 जुलाई, 2009 में प्रकाशित भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1800(अ), तारीख 21 जुलाई, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. (2) के सामने प्रविष्टि "श्री उत्तम प्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थान" के स्थान पर "श्री अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थान" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. 1/5/2001-सीएल.-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में सं. का.आ. 1800(अ), तारीख 21 जुलाई, 2009 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 3203(अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2009 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2010

S.O. 913(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 21st July, 2009 *vide* number S.O. 1800(E), dated the 21st July, 2009, namely :—

In the said notification, against serial No. (2), for the entry "Shri Uttam Prakash Agarwal, President of the Institute of Chartered Accountants of India", the entry "Shri Amarjit Chopra, President of the Institute of Chartered Accountants of India" shall be substituted.

[F. No. 1/5/2001-CL.-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1800(E), dated the 21st July, 2009 and was last amended *vide* number S.O. 3203(E), dated the 14th December, 2009.